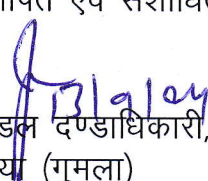
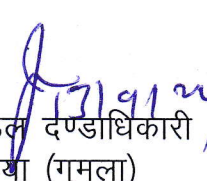


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं० ०७/२०१६
धारा १०७ दं० प्र० सं०

प्रथम पक्ष — हिरालाल साहु
बनाम
द्वितीय पक्ष — भुनेश्वर साहु वगै०....

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० ०३/२०१६ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- हिरालाल साहु उम्र ५८ वर्ष पिता- बुधनाथ साहु, ग्राम- रामजड़ी थाना- बसिया, जिला- गुमला द्वितीय पक्ष :- (१) भुनेश्वर साहु ५५ वर्ष, पिता- बुधनाथ साहु (२) भोला साहु उम्र २५ वर्ष पिता- भुनेश्वर साहु ग्राम- रामजड़ी, थाना- बसिया जिला- गुमला के बीच भूमि संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>१३/०९/२०२४</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)	